न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा,आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील संख्याः–33/2017/भीलवाड़ा (2017/00046)

1. श्रीमती नारायणी पत्नि स्व0 मन्दरूप, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम जूना भेरू खेड़ा, तहसील आसीन्द, जिला भीलवाडत्रा हाल निवास–तह0 आसीन्द जिला भीलवाड़ा ।

अपीलांट्स

बनाम

1. महावीर पुत्र स्व0 श्री मन्दरूप, नाबालिग जरिये सरंक्षक प्रा0 माता भाली पुत्री भोमा ।,
2. शीला पुत्री स्व0 मन्दरूप, नाबालिग जरिये सरंक्षक माता भाली पुत्री भोमा, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम जूना भैरू खेड़ा, तह0 आसीन्द, जिला भीलवाड़ा हाल निवासी ग्राम झरडु का खेड़ा, तह0 आसीन्द, जिला भीलवाड़ा ।
3. भाली पुत्री भोमा, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम झरडु का खेडा, तह0 आसीन्द, जिला भीलवाड़ा ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, आसीन्द, जिला भीलवाड़ा ।
5. चन्द्रकांता पत्नी औमप्रकाश, जाति मेवाड़ा, नि0 आसीन्द, जिला भीलवाड़ा ।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार, आसीन्द जिला भीलवाड़ा दिनांक 3.3.2017 अंतर्गत प्रकरण संख्या 01/2014.

उपस्थितः–

1. श्री शौकिन्दलाल गुर्जर, वकील अपीलांट ।
6. श्री जे0पी0 माथुर, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 3 व 5.

निर्णय

दिनांकः–21.12.2017

अपीलांट्स ने यह अपील तहसीलदार आसीन्द, जिला भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 3.3.2017 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विवादित आराजियात खसरा नंबर 3847 रकबा 0.20 है0 ग्राम आसीन्द पटवारी हल्का आसीन्द, तहसील आसीन्द में स्थित है, उपरोक्त आराजी के सहखातेदार मन्दरूप वल्द गोपी जाति गुर्जर है । उक्त आराजी के खातेदार मन्दरूप वल्द गोपी का स्वर्गवास दिनांक 17.3.2013 को हो चुका है । खातेदार मन्दरूप का स्वर्गवास होने के पश्चात् उक्त आराजी की विरासत के बाबत् प्रार्थना पत्र अपीलांट ने प्रस्तुत किया तथा रेस्पो0 संख्या 3 ने आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । अधी0न्याया0 ने दिनांक 3.3.2017 को आदेश पारित कर अपीलांट का प्रार्थना पत्र अस्वीकार करते हुए रेस्पो0 संख्या 3 का आपत्ति प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेस्पो0 के नाम नामांतकरण पारित करने के आदेश पारित किये। अधी0न्याया0 के इस आदेश से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है । xx

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट के उपस्थित होने एवं अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांटस एवं रेस्पोडेंट की बहस सुनी गई। xx

3- अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि तहसीलदार, आसीन्द ने मात्र वर्तमान रेस्पो0 संख्या 3 के द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र में अंकित अभिकथनों के आधार पर एकपक्षीय रूप से निर्णय पारित किया है जबकि खातेदार मन्दरूप के जीवनकाल में ही रेस्पो0 संख्या 3 के मध्य आपसी वैवाहिक मतभेद होने पर रेस्पो0 संख्या 3 ने दो प्रकरण धारा 498–ए एवं धारा 125 सी0आर0पी0सी0 के तहत प्रस्तुत करने के बाद उक्त प्रकरणों में आपसी सहमति से मन्दरूप एवं रेस्पो0 संख्या 3 का विवाह विच्छेद हो चुका था । रेस्पो0 संख्या 3 का खातेदार मन्दरूप से आपसी सहमति से विवाद विच्छेद होने के बाद उसका विवादित आराजी में कोई हक व अधिकार नहीं रहता है । मन्दरूप ने अपने जीवनकाल में अपीलांट से सामाजिक रीति–रिवाज से विवाह किया था जिससे खातेदार मन्दरूप की एक मात्र वारिस पत्नि नारायणी अपीलांट ही है जो उसके जीवन काल के अंतिम क्षणों तक भी अपीलांट की पत्नि थी । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि विवादित आराजी पर अपीलांट ही काबिज काश्त चली आ रही है । अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष दस्तावेजी साक्ष्यों में परिवार राशनकार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन पत्र, रेस्पो0 संख्या 3 द्वारा निष्पादित इकरारनामा आदि प्रस्तुत किये थे किन्तु इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा में अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 3 अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने में पूर्णतया असफल रही है परन्तु इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में त्रुटि कारित की है । भारतीय साक्ष्य अधि0 की धारा

101 के अनुसार प्रार्थना पत्र में अंकित अभिवचनों व कथनों को सिद्ध करने का भार जो अभिवचन लेकर आता है उस पर ही होता है । इस संबंध में विद्वान वकील अपीलांट ने आर0बी0जे0 1999 पेज 426 का न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किया । विद्वान वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विरोधाभासी है क्योंकि अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रकरण में पूर्णरूप से साक्ष्य समायोजित किये बिना प्रकरण को एकतरफा तौर पर विरासत जटिल मानकर निर्णय का अभाव अंकित किया है तथा दूसरी तरफ रेस्पो0 संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विरोधाभासी निर्णय होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 3.3.2017 अपास्त किया जावे तथा अपीलांट के पक्ष में विरासत नामांतरकण तस्दीक किये जाने के आदेश प्रदान करावें । विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आर0बी0जे0 2004 (1) पेज 610 का न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किया । xx

4- विद्वान वकील रेस्पोडेंटस ने जवाब बहस में कथन किया कि नारायणी खातेदार मन्दरूप की पत्नी नहीं है । अपीलांट द्वारा राशनकार्ड की जो प्रति प्रस्तुत की गई है वह असल न होकर फोटो प्रति है तथा उक्त राशनकार्ड में नारायणी का नाम बाद में बढ़ाया गया है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने अधी0न्याया0 की पत्रावली में संलग्न शपथ पत्र दिनांक 11.1.2013 की और ध्यान आकर्षित कर निवेदन किया कि उक्त शपथ पत्र नारायणी अपीलांट द्वारा संपादित कराया गया है जिसमें नारायणी ने अपने दोनों नाबालिग संतानों के पिता का नाम तेजू दर्शाया है जिससे भी स्पष्ट है कि नारायणी अपीलांट मन्दरूप की पत्नि न होकर तेजू गुर्जर की पत्नि थी । भू-अभिलेख निरीक्षक ने भी अपनी जांच रिपोर्ट में अपीलांट नारायणी को मन्दरूप की पत्नि होना नहीं माना है । इसके विपरीत रेस्पो0 ने मन्दरूप की पत्नि होने के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक नामावली, पहचान पत्र, राशनकार्ड, बी0पी0एल0कार्ड इत्यादि दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये जिसमें रेस्पो0 भाली के पति का नाम मन्दरूप दर्ज है । अधी0न्याया0 ने समस्त तथ्यों की भली-भांति जांच उपरांत रेस्पो0 संख्या 3 को मन्दरूप की पत्नि मानकर रेस्पो0 के पक्ष में विरासत नामांतकरण तस्दीक करने के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत् है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

5- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । अपीलांट नारायणी ने स्वंय को मृतक मन्दरूप की पत्नि बताकर विवादित आराजियात स्वंय के नाम विरासत के आधार पर दर्ज करने का प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया था। इसी प्रकार रेस्पो0 संख्या 3 भाली ने भी उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पो0 संख्या 3 मन्दरूप की पत्नि है इसलिये नारायणी के नाम नामांतकरण की कार्यवाही नहीं की जावे व नामांतकरण को रूकवाया जावे । उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर

भू–अभिलेख निरीक्षक ने विरासत विवादित होने से तहसीलदार, आसीन्द को भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 135(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर सुनवाई किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रेषित किये । तहसीलदार, आसीन्द ने दिनांक 17.4.2014 को प्रकरण दर्ज कर उभयपक्ष को नोटिस जारी किये ।

6- अपीलांट का मुख्य कथन है कि रेस्पो0 संख्या 3 भाली मृतक मन्दरूप की पत्नि नहीं है क्योंकि दोनों के मध्य आपसी सहमति से विवाद विच्छेद हो गया था तथा अपीलांट नारायणी ही वर्तमान में मृतक की विधिक पत्नि है। इसके विपरीत रेस्पो0 का कथन है कि रेस्पो0 संख्या 3 ही मृतक मन्दरूप की पत्नि होकर विधिक वारिसान है । इस संबंध में भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तहसीलदार, आसीन्द को प्रेषित रिपोर्ट 27.1.2014 का अवलोकन किया जिसमें भू–अभिलेख निरीक्षक ने अंकित किया है कि अपीलांट ने मन्दरूप की पत्नि होने के साक्ष्य में कोई सजरा पेश नहीं किया है। राशन कार्ड की फोटो प्रति पेश की है जिसमें अपीलांट नारायणी को मन्दरूप की पत्नी बता रखा है लेकिन फोटो प्रति असल से प्रमाणित नहीं है इसलिये संदेहास्पद है कि नारायणी का नाम बाद में बढ़ाया गया है । इसी रिपोर्ट में यह भी अंकित है कि बी0पी0एल0 सर्वे वर्ष 2002 में भी मन्दरूप के साथ अपीलांट नारायणी का नाम अंकित नहीं है । रिपोर्ट के पैरा संख्या 5 में यह अंकित किया गया है कि प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत राशनकार्ड की फोटो प्रति में जारी होने की दिनांक 27.5.2010 अंकित है जिसमें प्रार्थिया को मंदरूप की पत्नि बताया जबकि दिनांक 11.1.2013 को एक शपथ पत्र पेश किया जिसमें नारायणी ने तेजू के वारिसान नाबालिग किशन, महावीर पिता तेजमल गुर्जर निवासी भैरूखेड़ा को अपने पुत्र बताकर खरीद शुदा आराजी में नाम सम्मिलित कर खुद प्रार्थिया तेजु के दोनों पुत्रों की सरंक्षक बनी है । सरंक्षक बाबत् ग्राम भैरूखेड़ा में नामांतकरण संख्या 167 दिनांक 20.1.2013 को दर्ज होकर निर्णित हो चुका है । भू–अभिलेख निरीक्षक की उक्त रिपोर्ट से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि अपीलांट नारायणी मृतक मन्दरूप की पत्नि न होकर तेजू गुर्जर, निवासी भैरूखेड़ा की पत्नि थी । इसके विपरीत रेस्पो0 संख्या 3 ने मृतक मन्दरूप की पत्नि होने के संबंध में बी0पी0एल0 सर्वे प्रपत्र की फोटो प्रति पेश की जिसमें रेस्पो0 संख्या 3 भाली के पति का नाम मन्दरूप दर्ज है, इसी प्रकार राशनकार्ड संख्या 00086 जो मन्दरूप के नाम से जारी किया हुआ जिसमें रेस्पो0 संख्या 3 भाली का नाम मन्दरूप की पत्नि के रूप में दर्ज है तथा मन्दरूप की मृत्यु होने पर मुखिया मन्दरूप के स्थान पर रेस्पो0 संख्या 3 का नाम दर्ज किया गया है । रेस्पो0 ने मन्दरूप की पत्नि होने के संबंध में राजस्थान की निर्वाचक नामावली 2014 की फोटो प्रति पेश की जिसके क्रम संख्या 967 पर रेस्पो0 संख्या 3 भाली का नाम अंकित होकर पति का नाम मन्दरूप अंकित है । इसी नामावली के क्रम संख्या 995 पर अपीलांट नारायणी का नाम भी अंकित है तथा नारायणी के पति का नाम तेजू अंकित है । रेस्पो0 संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र संख्या आर0जे0/20/158/201159 भाली के नाम से जारी किया हुआ है तथा पति का नाम मन्दरूप अंकित है । अधी0न्याया0

की पत्रावली में संलग्न अपर सेशन न्यायाधीश, गुलाबपुरा के न्यायालय में चले प्रकरण में हुए बयानों की प्रतियों के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि अपीलांट नारायणी मृतक मन्दरूप की पत्नि न होकर तेजू गुर्जर की पत्नि थी । पत्रावली में उपलबध तेजू पि0 लालू गुर्जर के राशनकार्ड संख्या 105 में भी तेजू की पत्नि का नाम नारायणी दर्ज है । इन सभी दस्तावेजी साक्ष्यों से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि अपीलांट मृतक मन्दरूप की पत्नि न होकर तेजू पि0 लालु गुर्जर, निवासी जुना भैरूखेड़ा, ग्राम पंचायत बोरेला की पत्नि है । अपीलांट दस्तावेजी साक्ष्यों से स्वंय को मृतक मन्दरूप की पत्नि साबित करने में पूर्णतया असफल रही है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण उपरांत अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि होना प्रतीत नहीं होता है । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत प्रकरण पर चस्पा नहीं होता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट अपास्त योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 3.3.2017 यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 33/2017 (2017/00046) बउनवानी नारायणी बनाम महावीर को अपास्त किया जाता हैं तथा तहसीलदार, आसीन्द द्वारा प्रकरण संख्या 01/2014 बउनवानी भाली बनाम नारायणी में पारित निर्णय दिनांक 3.3.2017 को यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 21.12.2017 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर